भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：710

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

प्रतिनियुक्ति पर तैनाती संबंधी नीति

**710. श्री परिमल नथवानी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्‍यों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. की तैनाती संबंधी नीति क्‍या है;

(ख) राज्‍यवार, बैचवार कितने आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारियों ने अपनी प्रतिनियुक्ति की पांच वर्षों की अवधि पूरी कर ली है किन्‍तु उन्‍हें अभी तक उनके मूल विभाग में वापस नहीं भेजा गया है; और

(ग) उन्‍हें उनके मूल विभागों में वापस भेजने के लिए क्‍या-कया कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

\*\*\*\*